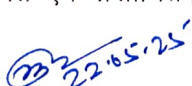


आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से
जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 42/सन-2024— 25

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22.05.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 42/2024— 25 उपायुक्त —सह— जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक— 702/गो०, दिनांक— 20.02.2025 के द्वारा प्राप्त आवेदक कैलाश साव, पिता— स्व० मेघन साव, साकिन— नावाडीह, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह का आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदक कैलाश साव पिता स्व० मेघन साव, साकिन— नावाडीह पंचायत केन्दुआ थाना धनवार जिला गिरिडीह ने ग्राम— नावाडीह, थाना नं०— 257, खाता सं०— 04 अन्तर्गत क्रमशः रकवा 40 डी० + 40 डी० कुल 80 डी० कुल (अस्सी डिसमिल) भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु परिशोधन पोर्टल आवेदन किया है। बार — बार माँग करने बावजूद आवेदक के द्वारा जरूरी राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदक के द्वारा भौतिक पंजी— II सत्यापित प्रति की छाया प्रति संलग्न किया गया है। प्रश्नगत भूमि की भौतिक पंजी— II का Page no. — 317, Vol no. — 3 है। उन्होंने संबंधित भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— नावाडीह /257 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— III पृष्ठ सं०— 317 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, धनवार से मापी —सह— दखल — कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। मापी में वादगत भूमि पर जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों का शांतिपूर्ण दखल — कब्जा प्रतिवेदित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 5, श्री कंचन कुमार/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी— सह— दखल— कब्जा संबंधित प्रतिवेदन तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— नावाडीह/257 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— III पृष्ठ सं०— 317 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी— II में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	